भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 306375

-1-

<u>विक्रय अनुबन्ध पत्र मय कब्जा</u>

प्रतिफल की धनराशि	–	रू0 11,00,000/–
अग्रिम धनराशि	–	रू0 11,00,000/–
बकाया धनराशि	–	रू0 0,000/–
मालियत	–	रू0 11,38,000/–
सटा विक्रय एवं जनरल स्टैम्प	–	रू0 79,650/–

1. भूमि का प्रकार – कृषि
2. परगना – [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-2-

3. ग्राम — बरौना

4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खाता संख्या 0284 [illegible] 0.xx हेक्टेयर का पूर्ण भाग स्थित ग्राम— बरौना, परगना— बिजनौर तहसील — जिला लखनऊ

5. मापन की इकाई — हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.xxx हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड से 300 मी. से अधिक दूर

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 315974

- 3 -

8. पेड़ों का विवरण – कोई पेड़ नहीं है।

9. बोरिंग / कुआं आदि – कुछ भी नहीं है।

चौहद्दी खसरा नं० बकैद

उत्तर	:	खसरा नं० 485, 433
दक्षिण	:	खसरा नं० 513, 528
पूरब	:	खसरा नं० 586, 604, 605
पश्चिम	:	खसरा नं० 553, 567

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000   Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 011141

प्रथम पक्ष की संख्या–1   द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण :	द्वितीय पक्ष का विवरण
गौरी शंकर पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी– [illegible], [illegible] [illegible] परगना बिजनौर, तहसील व जिला [illegible]।	[illegible] भारतीय [illegible] लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, वर्तमान पता [illegible] बिल्डिंग, 13, [illegible] [illegible] मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत [illegible] श्री [illegible] प्रताप सिंह पुत्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 011162

-5-

	श्री स्व० गोपाल सिंह [illegible] व स्थायी पता प्रथम तल [illegible] बिल्डिंग, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
व्यवसाय - कृषि	व्यवसाय - व्यापार

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र गौरी शंकर पुत्र लक्ष्मी नारायन निवासी– जलन्धेड़ा, [illegible] परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे प्रथम पक्ष कहा गया है, [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 013443

-6-

अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं निष्पादकगण सम्मिलित है।

एवम्

मेसर्स [illegible] लि0 रजिस्टर्ड ऑफिस 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, कॉर्पोरेट [illegible] बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 [illegible] बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हज़ार रुपये — ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 — Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कहा गया है जिसके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.506 हेक्टेयर का पूर्वी भाग स्थित ग्राम [illegible], परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व [illegible] है तथा उपरोक्त उल्लिखित [illegible] खतौनी संख्या 00452 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रथम पक्ष उक्त सम्पूर्ण [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[illegible] 5 JUL [illegible]

द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व स्वामित्व है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि खुली भूमि है और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने इसे पूर्व विक्रय या पूर्व करार का लिखा बिक्री या अनुबंधित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कोई ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व उसके वारिसान की

[illegible] [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

वैधिक उत्तराधिकारी आदि। [illegible] उक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कोई बकाया है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, तथा प्रथम पक्ष को उक्त भूमि अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त भूखण्ड के फलस्वरूप कुल मौजूद मूल्य रु0 11,05,000/- (रु0 ग्यारह लाख पाँच हजार मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमें से बतौर अग्रिम धनराशि रु0 11,00,000/- (रु0 ग्यारह लाख मात्र) प्रथम पक्ष ने

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 3 -

प्राप्त कर लिया है जिसका उल्लेख द्वितीय पक्ष द्वारा [illegible] और इस विलेख के अन्त में दी गई तालिका के अनुसार भुगतान कर दिया गया है जिसकी प्राप्ति का प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष [illegible] [illegible] दर्ज कराने का द्वितीय पक्ष के नाम मे [illegible] होने के बाद तीन महीने के अन्दर द्वितीय पक्ष के नाम मे विक्रय विलेख अथवा निष्पादित कर देगा तथा कोई हीला हवाली या इनकार नहीं करेगा तथा शेष [illegible] धनराशि रु0 5000/-(रु0 पाँच हजार रुपये) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके विक्रय विलेख अथवा

[signature]

[signature]

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विक्रयित [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हिस्सेदारों से [illegible] नहीं करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह [illegible] अदालत [illegible] [illegible] [illegible] करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष [illegible] विक्रीत भूमि का कब्जा इस बैनामा पर [illegible] द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

यह कि अब [illegible] आपत्ति पर [illegible] पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 673126

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान [illegible] इत्यादि के कब्जे व अधिकार व स्वत्व से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान [illegible] इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना हर्जा नुकसान मय खर्चा व खर्चा प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से विधि अदालत वसूल कर लें। जिस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसका प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

पक्ष के उपरोक्त खसरा नम्बर वाला मौजा आउटर रिंग रोड के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 22,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.508 हे0 की मालियत रू 11,39,000/– होती है चूंकि विक्रय मूल्य भूमि की मालियत मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार मालियत मूल्य पर ही रू0 79,800/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के रजिस्ट्रेशन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समझ बूझकर लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

[illegible]

निष्पादनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. तिवारी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
28/7/2011

[illegible]

निष्पादनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

पी. के. तिवारी
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
28/7/2011

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को अग्रिम धनराशि 6,00,000/- द्वारा चेक संख्या 242532 दिनांकित 28.07.2011 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।

2. प्रथम पक्ष को रू0 5,00,000/- नगद द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुये जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अग्रिम मूल्य रू0 11,00,000/- (रू0 ग्यारह लाख मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊ:
दिनांक : 28.07.2011

गवाह :

1. [illegible]

2. [illegible]

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

टाइपकर्ता
(देवलोक सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(बिन्द रतन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

Dalil

Registration No: [illegible] Year 2011 Book No:

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

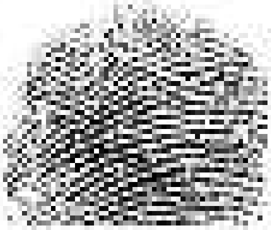

[illegible] — [illegible] S/o [illegible]

[illegible] — APIL

[illegible] — 501

[illegible] — 125 [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible] [illegible]

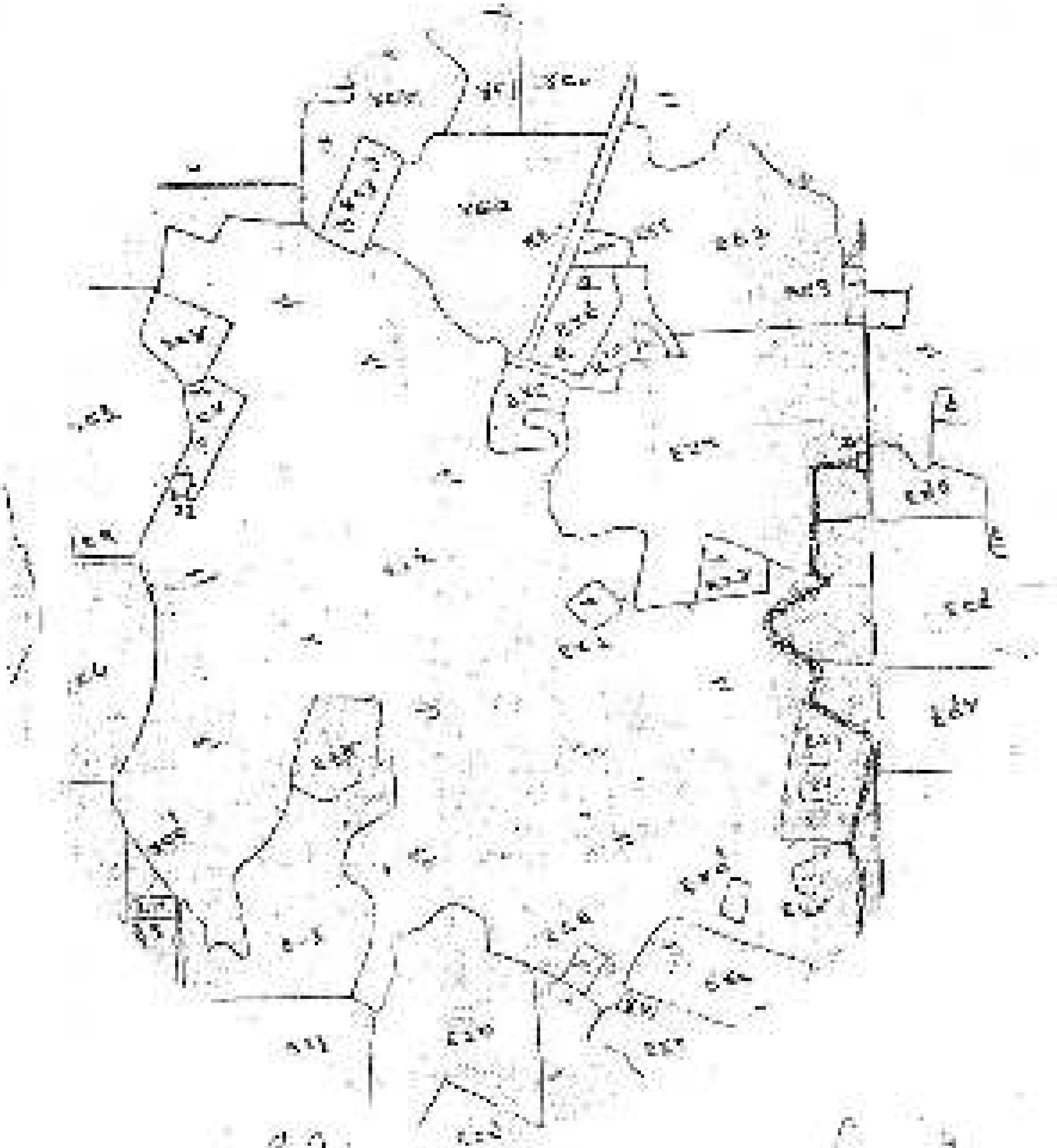

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No.: [illegible] Year: 2011 Book No.: I

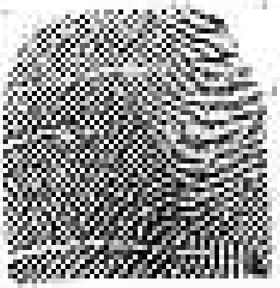

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा-32ए0 के अनुपालन हेतु, फिंगर प्रिन्ट्स

प्रथम पक्ष का नाम व पताः- गौरी शंकर पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी- जगन्खेड़ा, मजरा बरौना ग्राम बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

बॉये हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

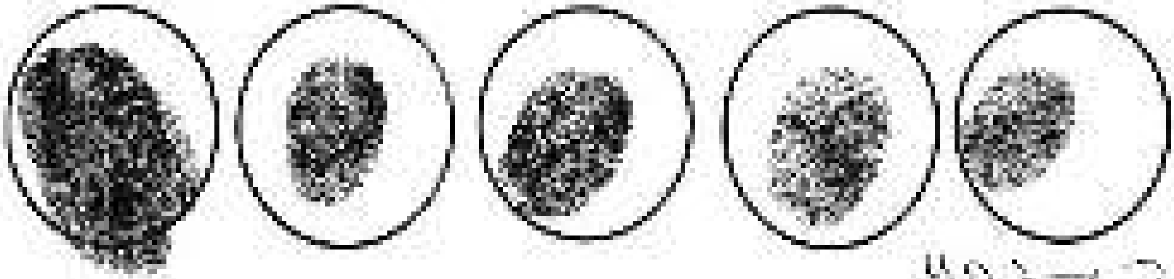

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष का नाम व पताः- अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 गंगाराज सिंह वर्तमान व स्थायी पता प्रथम तल वाईएमसीए0 बिल्डिंग, 13, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

बाँये हाथ के अंगुलियो के चिन्हः

दाहिने हाथ के अंगुलियो के चिन्ह :-

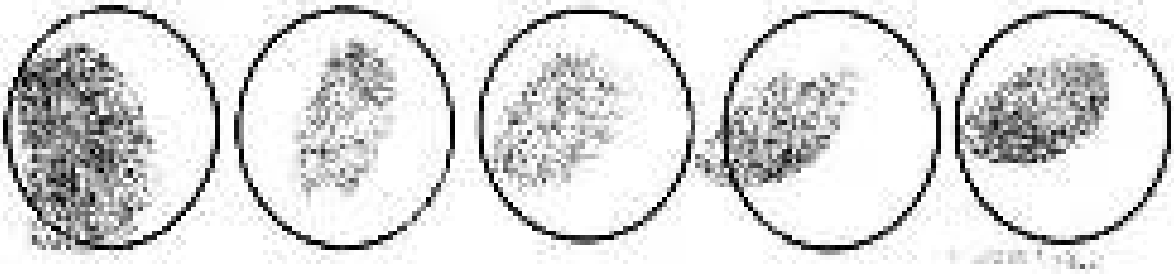

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

आज दिनांक 28/07/2011 को

बही सं 1 जिल्द सं 13044

पृष्ठ सं 165 से 196 पर क्रमांक 11122

रजिस्ट्रीकृत किया गया

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी. पी. द्विवेदी

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

28/7/2011